राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार –कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / प–49 / 2010 / 919 दिनांक : 30/12/10

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   राजस्थान।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
   राजस्थान।

विषय : आपके जिले से स्थानान्तरण पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्त करने के संबंध में सूचना हर माह की 05 तारीख को भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आप के अधीन जिले में स्थानान्तरण पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्त करने के संबंध में चिकित्सकों की सूचना हर माह की 05 तारीख को अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को निम्न प्रारूपों में आवश्यक रूप से आप अपने स्तर से भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रारूप I - स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किये गये चिकित्सकों का विवरण :–

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	स्थान जहां से स्थानान्तरण हुआ	स्थान जहां के लिए कार्यमुक्त करना था	कार्यमुक्त नहीं करने के कारणों का विवरण
1	2	3	4	5	6

प्रारूप II - स्थानान्तरण पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले चिकित्सकों का विवरण :–

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	स्थान जहां से कार्यमुक्त करना था	स्थान जहां के लिए कार्यग्रहण करना था	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / प–49 / 2010 / 919 दिनांक : 30/12/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर को भेजकर लेख हैं कि सूचना भिजवाना आप अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।